# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी— श्री नरेन्द्र गुप्ता** (आई०ए०एस०)

**प्रकरण संख्या— 12/2017**

**बउनवान**

मोहनलाल पुत्र श्री गोविन्दलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी श्यामपुरा, तहसील बारां, जिला—बारां (राज0) **(अपीलांट)**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां **(रेस्पोंडेंट)**

जिला कलक्टर न्यायालय बारां (राज0)

**अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :—1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

**निर्णय दिनांक 25.10.2023**

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.11.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम श्यामपुरा तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 565/144 रकबा 1.45 है., किस्म—माल I पर अतिक्रमी मानकर 1088/— रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट के पिता गोविंदलाल एवं मथुरालाल के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां में सिलिंग की कार्यवाही संधारित हुई थी जिसमें अपीलांट के पिता ने अपने खाते की आराजी खसरा नंबर 98 की पश्चिमी ओर की 16 बीघा 4 बिस्वा भूमि ऑप्शन में दी थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत नामान्तरकरण प्रमाणित कर खसरा नंबर 98 के पूर्वी हिस्से पर भूमि अवाप्त कर ली जिसके वर्तमान खसरा नंबर 143 है। अवाप्तशुदा भूमि कब्जाराज ली जाकर आवंटित भी कर दी गई। इन सब तथ्यों को अनदेखा करते हुए मौजूदा स्थिति को परिवर्तित कर दिया और दुर्भाग्य से कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 565/144 पर अपीलांट को अतिचारी मान लिया। राजस्व रिकार्ड की उक्त गलती बाबत अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी सबूत पेश किये थे किन्तु किसी भी दस्तावेज को रिकार्ड पर नहीं लिया गया [illegible] निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ [illegible] का निर्णय दिनांक 28.11.2016 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.31 13:09:59 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट [illegible] सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया [illegible] अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार सीलिंग प्रकरण में हल्का पटवारी व तहसीलदार बारां से जो मौका रिपोर्ट दिनांक 11.05.2018 को मंगवाई गई थी उससे भी स्पष्ट है कि जिस भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी माना है उसे गलत तरीके से अधिग्रहित किया गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा मि0 नं045/17 बउनवान मोहनलाल बनाम रमेश वगैरा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रार्थना पत्र में सीलिंग प्रकरण राज0 सरकार बनाम मथुरालाल गोविन्द के निर्णय तक मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने रहन बेचान नहीं करने का आदेश जारी किया हुआ है। उसी अनुसार अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज काश्त है इसके बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.ए. के तहत गलत रूप से कार्यवाही की गई है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा सिवायचक आराजी पर अतिक्रमण करने पर उसे विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 565/144 ग्राम श्यामपुरा से संबंधित सीलिंग प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है। परन्तु वर्तमान में चूंकि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। अतः जब तक उक्त भूमि में उसके हक निर्धारित नहीं होते तब तक अपीलांट का अतिक्रमी की हैसियत से ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त माना जावेगा। चूंकि विवादित आराजी से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है जिसमें अपीलांट के हक निर्धारित होने हैं।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1170/16 निर्णय दिनांक 28.11.2016 से दी गई बेदखली की सजा माफ की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.31 13:09:59 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)